IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, March 2023
Impact Factor: 7.301

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विशेष सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन

शारदा सोनी
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र
शासकीय महाविद्यालय रैगॉव, सतना

शोध सारांश –

इस शोध पत्र में शोधार्थिया ने जनजातीय महिलाओं के विशेष संदर्भ में नई शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन किया है। शोधार्थिया ने यहां मुख्यता दो विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला शिक्षा, मानव के लिए इसका महत्व तथा जनजतीय महिलाओं के लिए शिक्षा की विशेष आवश्यकता दूसरा नई शिक्षा नीति 2020 में जनजतीय महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उपायों जैसे –समग्र व समावेशी शिक्षा स्थानीय भाषाओं में शिक्षा के प्रोत्साहन द्वारा भाषाई बाध्यता को खत्म करना शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ना आदि शामिल है। शोधार्थिया ने यहां पाया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के विविध स्तंभों यथा शिक्षक तथा शिक्षार्थी के विविध आयामों में वर्तमान आवश्यकता के अनुसार विकास की चर्चा की गई है एवं समस्त समस्याओं और चुनौतियों के विपरीत समग्र एवं समावेशी शिक्षा के द्वारा असीम संभावनाओं की ओर बढ़ते हुए भारत को पुनः इसके गौरव को अक्षुण्य रखने के लिए कटिबद्ध एवं प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

प्रस्तावना –

शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से वह ज्ञान, अनुभव और कौशल प्राप्त करता है जो उसे अपने जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। शिक्षा मनुष्य के सोचने, समझने, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक और आर्थिक विकास, संचार और सहयोग के लिए आवश्यक होती है। शिक्षा के दो प्रमुख घटक होते हैं दृ विशेषज्ञता और मूल्यों का विकास। विशेषज्ञता मानव समुदाय की तकनीकी व व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, जबकि मूल्यों का विकास उन्नत और सफल भविष्य के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य समाज के अन्य सदस्यों के साथ अधिकस मझदार बनता है और सामाजिक अंतर बन्धनों को समझता है। इसके साथ ही शिक्षा मनुष्य को अपने स्वास्थ्य व व्यवस्थित जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करती है।

किसी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के बिना किसी भी राष्ट्र का विकास संभव नहीं होता। शिक्षित नागरिक समाज के विकास में भूमिका निभाते हैं और राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास की ओर प्रेरित करते हैं। शिक्षा न केवल मानव समुदाय को ज्ञान, कौशल और अनुभव प्रदान करती है, बल्कि इसके माध्यम से मानव समुदाय के भिन्न–भिन्न वर्गों को एक समान मंच पर लाने में मदद मिलती है। इससे अधिक शिक्षा मानव समुदाय को दूसरे राष्ट्रों के साथ मेल जोल और विश्वस मुदाय से जोड़ने में मदद करती है। शिक्षा के माध्यम से लोग अपने जीवन को अधिक उत्तम बनाने के लिए अधिक ज्ञान, कौशल और उन्नत सोच का विकास कर सकते हैं। इससे वे स्वयं को न केवल सक्षम बनाते हैं, बल्कि राष्ट्र की आर्थिक विकास और समृद्धि में भी मदद करते हैं। इसलिए, राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की इस महती भूमिका को देखते हुए भारत की सरकारों ने समय समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को सुव्यवस्थित दिशा प्रदान करने की कोशिश की है

भारतीय शिक्षा की विकास यात्रा

भारतीय की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां भारत सरकार द्वारा तैयार की गई ऐसी शिक्षा नीतियां है जो भारत के शैक्षणिक क्षेत्र में विस्तृत परिवर्तन को प्रोत्साहित करती रही है। ये नीतियां नई भारत के विकास के लक्ष्यों के साथ–साथ, विभिन्न शैक्षणिक स्तरों, संस्थाओं और क्षेत्रों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक रूप से लागू की जाती रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों कालक्ष्य रहा है कि भारत के शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जा एता कि उसमें अधिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण मानकों के अनुरूप बदलाव किए जा सकें। इसके अलावा, नीति का उद्देश्य है किस **भी बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वे एक समृद्ध और विकसित समाज के लिए तैयार हो सकें।**

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, March 2023
Impact Factor: 7.301

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 –

स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर यह पहली नीति कोठारी आयोग (1964–1966) की सिफारिशों पर आधारित थी। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्त्व का विषय घोषित किया गया। 14 वर्ष की आयु तक केस भी बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों का बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस। नीति ने प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया, जिसे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था। शिक्षा पर केन्द्रीय बजट का 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा। माध्यमिक स्तर पर 'त्रिभाषा सूत्र' लागू करने का आह्वान किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 –

इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेषज़ोर देना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये ष्ऑपरेशन ब्लैक बोर्डष् लॉन्च किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ 'ओपन यूनिवर्सिटी' प्रणाली का विस्तारकिया। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिये महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारितष्ग्रामीण विश्वविद्यालयष् मॉडल के निर्माण के लिये नीति का आह्वान किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन, 1992 –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Joint Entrance Examination-JEE) और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (All India Engineering Entrance Examination-AIEEE) तथा राज्य स्तर के संस्थानों के लिये राज्यस्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (SLEEE) निर्धारित की। इसने प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों औ रउनके अभिभावकों पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्याओं को हल किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में शिक्षा की पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गतही 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' (Ministry of Human Resource Development- MHRD) का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' (Education Ministry) करने को भी मंजूरी दी गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की आवश्यकता

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
- भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020के प्रमुख बिंदु –

प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शैक्षिक पाठ्यक्रम का दो समूहों में विभाजन–3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये ऑगनवाड़ी/बाल वाटिका/प्री–स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्ता पूर्ण'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। छम्ब में डभ्क्व द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' की

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, March 2023
Impact Factor: 7.301

स्थापना की मांग की गई है। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–3 तक केस भी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी।

भाषायी विविधता को संरक्षण–

NEP–2020 में कक्षा–5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/ स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा–8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्चशिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार

इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा–6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी। 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' तैयार की जाएगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा–10 और कक्षा–12 की परीक्षाओं में बदलाव किये जाएंगे। इसमें भविष्य में समेस्टर याब हुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक–निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' नामक एकनए'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार –

शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय–समय पर लिये गए कार्य–प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' [National Curriculum Framework for Teacher Education&NCFTE) का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4–वर्षीय एकीकृ तबी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान

NEP–2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' को 26.3: (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50: तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। NEP-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्ज़िट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्रीतथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' दिया जाएगा, जिससे अलग–अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. (कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

भारत उच्च शिक्षा आयोग

चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020के प्रमुख बिंदु

प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान

3 वर्षसे 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शैक्षिक पाठ्यक्रम का दो समूहों में विभाजन– 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये आँगनवाड़ी/बाल वाटिका/प्री–स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्ता पूर्ण'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' (की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा1 और 2 में शिक्षा

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, March 2023
Impact Factor: 7.301

प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। NEP में डभ्त्क द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' की स्थापना की मांग की गई है। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–3 तक केस भी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी।

भाषायी विविधता को संरक्षण

NEP–2020 में कक्षा–5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/ स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा–8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्चशिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार

इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
कक्षा–6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी। 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' तैयार की जाएगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा–10 और कक्षा–12 की परीक्षाओं में बदलाव किये जाएंगे। इसमें भविष्य में समेस्टर याब हुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक–निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' नामक एकनए'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार

शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय–समय पर लिये गए कार्य–प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' का विकास किया जाएगा।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' National Curriculum Framework वित ज्मंबीमत म्कनबंजपवद–छब्ब्ज्)का विकास किया जाएगा।
वर्ष 2030तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4–वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

निष्कर्ष :–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जनजातीय महिलाओं के लिए विशेष उल्लेख नहीं हैं, लेकिन नीति में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए उन्हें विशेष संरचनाओं, उपक्रमों और योजनाओं का लाभ दिलाने का उल्लेख किया गया है। नीति में वर्णित उपलब्धियों के लिए जनजातीय समुदायों के साथ साझेदारी का भी उल्लेख किया गया है ताकि समाज में उनके संरक्षण और उनके उत्थान के लिए एक सामान्य संवेदनशीलता बढ़ सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

[1]. Chaudhuri, M. (2006). Tribal women: Changing spectrum in India. New Delhi: Concept Publishing Company.
[2]. Chauhan, P. S. (Ed.). (2014). Tribal women and development: A comprehensive appraisal. New Delhi: MD Publications.
[3]. Siva Raju, S., & Chauhan, P. S. (Eds.). (2017). Empowering women in tribal communities. New Delhi: MD Publications.

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, March 2023
Impact Factor: 7.301

[4]. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/New_Education_Policy_2020_English.pdf

[5]. Ojha, A. K. (2009). Women in tribal societies. New Delhi: Discovery Publishing House.